Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIII (53), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते साइबर अपराध – समस्या एवं निवारण

विजय लक्ष्मी जोशी *

* सहायक प्राध्यापक,शासकीय विधि महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान युग डिजीटल युग हैं जहॉ हर कोई बच्चा, बड़ा, महिला, पुरूष मोबाइल, कम्प्युटर, के माध्यम से कहीं न कहीं इंटरनेट का उपयोग कर रहा हैं। तकनीकि के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही इसका दुरूपयोग भी होने लगा एवं एक विकट समस्या सामने आकर खड़ी हुई जिसका नाम हैं साइबर अपराध। वर्तमान में फीशींग, ऑनलाइन फ्राड, साइबर मानहानि, ईमेल फ्राड, मनीलाड्रींग, डाटा डिडलिंग, चाइल्ड पोनोग्राफी, हेकिंग, ई–मेल स्पूफिंग, पाइरेसी, स्टॉकिंग, केडिट कार्ड फ्राड, साइबर आतंकवाद आदि साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। महिलाएँ विशेषकर किशोर युवतियॉ एवं गृहणियॉ, बच्चे इन अपराधों का आसानी से शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनमें जागरूकता एवं अपराध का प्रतिकार करने की शक्ति अन्य वर्गों की अपेक्षा कम होती हैं। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराध साइबर स्टॉकिंग, प्रोनोग्राफी, ई–मेल स्पूफिंग, साइबर मानहानि, ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, पहचान चोरी, साइबर ग्रुमींग, मॉर्फिंग, ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, सेक्सटॉर्सन है। प्रस्तुत शोधपत्र में साइबर अपराध को परिभाषित कर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों एवं उनसे जुड़े कानूनों, चुनौतियों, सरकारी प्रयासों का संक्षेप में वर्णन कर निष्कर्ष निकाला गया है।
शब्द कुंजी– साइबर अपराध, महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध, विधियॉ, चुनौतियॉ।

साइबर अपराध की परिभाषा – साइबर अपराध सूचना प्रोधोगिकी अधिनियम या किसी अन्य कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्यत: यह कहा जा सकता हैं कि ऐसा कोई अपराधिक कृत्य जो कम्प्युटर, इंटरनेट या अन्य कोई दूर संचार तकनीकी या डिजीटल तकनीक का प्रयोग करके किया जाता है उसे 'साइबर अपराध' कहते हैं इसे डिजीटल अपराध या इलेक्ट्रोनिक अपराध भी कहते है।

वेवोपीडिया कंप्युटर डिक्शनरी के अनुसार – 'साइबर अपराध कम्प्युटर तथा नेटवर्क से संबंधित कोई भी आपराधिक कृत्य हैं साथ ही इसमें इंटरनेट द्धारा संचालित परम्परागत अपराध भी आते है। उदाहरण के लिए – घृणाकारी अपराध (हेट क्राइम), टेलीमार्केटिंग एवं इंटरनेट फ्रॉड, पहचान चोरी, केडिट कार्ड एकाउंट चोरी भी साइबर अपराध माने जाते है, यदि अवैध क्रियाकलाप कंप्युटर एवं इंटरनेट के प्रयोग द्धारा सम्पन्न किए गए हो।'

साइबर अपराध से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि अपराधी किसी भी देश या स्थान का हो सकता हैं उसके स्थान, पहचान का पता लगाना मुश्किल होता हैं एवं अन्य देश का होने पर उस पर कौन से देश का कानून लागू होगा यह निश्चित करना मुश्किल हो जाता है।

साइबर अपराधों के प्रकार – ये दो प्रकार के हो सकते है–

1. आर्थिक स्वरूप के साइबर अपराध
2. निजता के विरुद्ध साइबर अपराध

इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार भी किया जा सकता है–

1. व्यक्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध
2. संपति के विरुद्ध साइबर अपराध
3. समाज के विरुद्ध साइबर अपराध

इसमें व्यक्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराधों के अंतर्गत ईमेल फ्रॉडिंग, स्टॉकिंग, साइबर मानहानि, अभद्र या अश्लील अंग प्रदर्शन, प्रोनोग्राफी, मॉर्फींग, डीपफेक, डिजीटल अरेस्ट, छल आदि आते है।

संपति के विरुद्ध साइबर अपराध में कॉपीराइट चोरी, कंप्युटर को जानबूझकर क्षति पहुँचाना, वायरस अटैक, सेवा उपलब्धि में रूकावट, डिजीटल पायरेसी आदि आते है।

समाज या राज्य के विरुद्ध अपराध में साइबर आतंकवाद, ऑनलाइन कपट, ऑनलाइन जुआ, मनीलोड्रिंग, प्रोनोग्राफी आदि आते है।

महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध – महिलाओं विशेषकर 15–24 साल की आयु की युवतियों एवं गृहिणीयों के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराध निम्नलिखित हैं–

1. **स्टॉकिंग –** इस तरह के अपराध में अपराधी अनिच्छुक महिला प्राप्तकर्ता को लगातार ऑनलाइन संदेश भेजते रहता हैं एवं उससे जबरदस्ती बातचीत करने की कोशीश करता हैं उसके इंटरनेट उपयोग करने पर निगरानी रखता हैं कि वह किससे कब बात कर रही हैं दोस्ती कर रही हैं ताकि उसे मानसिक प्रताड़ना हो वह क्षुब्ध हो जाए। इस प्रकार अनचाहे मेल एवं संदेशों से उस महिला उपभोक्ता के निजता के अधिकार का उल्लंघन होता हैं। इसमें कई पुरूष अपराधी महिला को अश्लील, भद्दे, अनचाहे, धमकी भरे संदेश भेजते है।
2. **साइबर स्पाइंग –** इसमें अपराधी कुछ बड़े होटलों के बाथरूम, बेडरूम, तथा चेजिंग रूम, ट्रॉयल रूम में गुपचुप तरिके से कैमरे लगाकर महिलाओं की अश्लील फोटो और विडियों रिकोर्ड कर लेते हैं और फिर उन्हें वायरल करते है तथा कई बार उन्हें वायरल करने की धमकी देकर महिलाओं को ब्लैकमेल करते है।
3. **साइबर बुलिंग –** इसमें महिला को डिजिटल उपकरणों का उपयोग

करके धमकाया, डराया तथा परेशान किया जाता हैं। इसमें कई बार अपराधी महिला की निजी जानकारी, फोटो, विडियों आदि अपलोड करने की धमकी देकर बदले में पैसे या अन्य अवैधानिक फेवर मॉगते है तथा कई बार महिला के बारे में शर्मिंदा करने वाली विडियों या फोटो पोस्ट करते हैं एवं उन्हें हटाने के लिए धन या अन्य अवैधानिक मॉग करते है।

4. **साइबर ग्रूमिंग –** इस अपराध में अपराधी किसी महिला से पहले ऑनलाईन दोस्ती करता हैं फिर उससे संबंध बढ़ाकर उसे ऑनलाइन विडियो कॉल के दौरान या ऑन कैमरा यौन क्रिया करने के लिए या कपडे उतारने के लिए प्रेरित करता हैं या उकसाता हैं या दवाब डालता है।

5. **पहचान की चोरी –** इसमें किसी महिला की फर्जी प्रोफाइल बनाई जाती हैं फिर उसमें या तो घटिया अश्लील सामग्री डाली जाती हैं या फिर उस महिला को कॉलगर्ल के रूप में चित्रित कर उसकी प्रोफाइल पर उसके फोटो एडिट कर अश्लील फोटों में बदलकर उसकी प्रोफाइल का उपयोग कॉलगर्ल व्यवसाय में धन कमाने के लिए किया जाता है।

6. **साइबर मानहानि –** इसमें किसी महिला की ऑनलाईन बदनामी की जाती हैं या उसके बारे में झूठी जानकारी फैलाई जाती हैं। इसके अंतर्गत ट्रोलिंग भी आता है।

7. **प्रोनोग्राफी –** इसमें यौन प्रकृति वाले या यौन कृत्यों पर आधारित फोटो विडियों, टेक्सट ऑडियों एवं अन्य सामग्री जो किसी महिला से जुड़ी हैं उन्हें इंटरनेट पर प्रकाशित किया जाता हैं। कई बार तो महिलाओं, युवतियों, नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर या उन्हें पैसों का लालच देकर या उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनका जबरदस्ती प्रोनोग्राफिक विडियों बनाने, फोटो बनाने में उपयोग किया जाता है।

8. **मॉर्फिंग –** इसमें अपराधी किसी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किसी महिला की तस्वीर या विडियों को एडिट करके उसे किसी अन्य आपत्तिजनक तस्वीर या विडियों में तब्दील कर देता है जैसे किसी महिला का चेहरा किसी नग्न महिला शरीर के साथ लगाकर या किन्हीं दो लोगों के आपत्तिजनक विडियो या फोटो में महिला का चेहरा हटाकर किसी अन्य निर्दोष महिला का चेहरा लगाना आदि। मॉर्फिंग का उपयोग करके महिला को ब्लैकमेल किया जाता हैं उसे बदनाम किया जाता है।

कानूनी उपचार :-

भारतीय न्याय संहिता के उपबंध :

1. **धारा 78 –** यह धारा साइबर स्टॉकिंग को दंडनीय अपराध घोषित करती है इसमें इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रोनिक संचार के माध्यम से किसी महिला का पीछा करना उसे बार-बार अवांछनीय ईमेल भेजना, उसके इंटरनेट यूज पर निगरानी रखना आदि दंडनीय बनाया गया है।

2. **धारा 75 –** यह धारा किसी महिला से यौन अनुग्रह की मांग करना उसकी ईच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने का प्रस्ताव देना, उसकी ईच्छा के विरुद्ध उसे अश्लील सामग्री जैसे तस्वीरे, विडियों दिखाना उस पर यौन संबंधी टिप्पणी करना दंडनीय अपराध घोषित करती है।

3. **धारा 74 –** यह धारा किसी महिला को अश्लील संदेश भेजने या उस पर ऑनलाइन अनुचित टिप्पणी करने पर दंड का प्रावधान करती है।

4. **धारा 77 –** इस धारा के अधीन जो कोई किसी महिला का उन परिस्थितियों में जब वह यह प्रत्याशा करती हैं कि उसे कोई देख नहीं रहा हैं निजी कार्य करते हुए उसकी फोटो खींचता हैं, विडियो बनाता है या उसका प्रसार करता हैं वह पहली बार दोषसिद्ध होने पर 1-3 साल तक के कारावास और जुर्माने से तथा दूसरी या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर 3-7 साल तक के कारावास एवं जुर्माने से दंडनीय होगा। इस धारा के अनुसार यदि कोई महिला उपरोक्त परिस्थितियों में निजी कार्य करते हुए उसके फोटो खींचने की या विडियों बनाने की सम्मति किसी को देती हैं किन्तु उसे अन्य व्यक्तियों को प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती हैं वहॉ यदि वह उसका प्रसारण करता है तो भी वह इस धारा के अधीन दंडनीय होगा।

5. **धारा 356 –** यह धारा मानहानि के साथ-साथ साइबर मानहानि के लिए 2 साल तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंड का प्रावधान करती है। इसमें जानबूझकर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के इरादे से मौखिक, लिखित या ऑनलाइन टिप्पणी करना या असत्य आरोप लगाना आता हैं।

सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 के उपबंध :

1. **धारा 66 सी –** इस धारा में किसी अन्य व्यक्ति की डिजीटल पहचान का कपटपूर्वक उपयोग करना अर्थात् उसकी फर्जी प्रोफाइल बनाकर उसका दुरूपयोग करने को 3 साल तक के कारावास या 1 लाख रू. तक के जुर्माने से दण्डित किया गया है।

2. **धारा 66 ई –** इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की जानबूझकर या साशय एकातंता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों के अधीन उसकी सम्मति के बिना उसके गुप्तांगों की फोटो खींचता हैं या विडियो बनाता हैं या उसकी सम्मति के बिना उस फोटो या विडियो को प्रकाशित, प्रसारित करता हैं या किसी अन्य को भेजता हैं तो वह 3 साल तक के कारावास या 2 लाख तक के जुर्मानें या दोनो से दंडित किया जाएगा। जैसे कि यदि कोई महिला किसी ट्रायल रूम में कपड़े बदल रही हैं या बाथरूम में नहा रही हैं कोई उसका छिपकर विडियो बनाता हैं या फिर वहॉ हिडन कैमरे लगाकर उसे इस तरह से कैप्चर करता हैं या उस विडियो या फोटो को वायरल कर देता हैं तो वह इस धारा के अधीन दोषी होगा।

धारा 67 – यह धारा इलेक्ट्रोनिक रूप में अश्लील सामग्री या कामोत्तेजक या कामुकता की अपील करने वाली सामग्री या व्यक्तियों को कलुषित या भ्रष्ट करने का आशय रखने वाली सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण या पारेषण के लिए दंड का प्रावधान करती हैं पहली बार दोषी होने पर 3 साल तक के कारावास और 5 लाख रू. तक का जुर्माना और दूसरी या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि होने पर 5 साल तक के कारावास और 10 लाख रू. तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके अधीन कोई व्यक्ति इंटरनेट, मोबाइल एप्लिकेशन, वेबसाइट या अन्य किसी डिजीटल प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा कंटेट डालता हैं या शेयर करता है जो अश्लील हो या यौन ईच्छा को भड़काता हो वह इस धारा के अधीन दोषी होगा।

धारा 67क – 'यह धारा लैंगिक प्रदर्शन का कार्य या आचरण अंतवर्लित करने वाली सामग्री के इलेक्ट्रोनिक रूप में प्रकाशन, प्रसारण या पारेषण को दंडनीय अपराध घोषित करती हैं पहली बार दोषसिद्धि पर 5 साल तक के कारावास तथा 10 लाख रू. तक का जुर्माना तथा पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर 7 साल तक का कारावास तथा 10 लाख रू. तक के जुर्माने से दंड का प्रावधान है अर्थात् जब कोई व्यक्ति किसी विडियो, चित्र, एनिमेशन या ऑडियो विजुअल माध्यम में यौन या लैंगिक गतिविधियों को दिखाता हैं उसे इलेक्ट्रोनिक रूप में शेयर करता है उसका इलेक्ट्रोनिक रूप में प्रसारण करता हैं तो वह इस धारा के अधीन दोषी होगा। लैंगिक कृत्य का तात्पर्य वास्तविक या स्पष्ट रूप से प्रदर्शित शारीरिक संबंध की गतिविधियों से है।

धारा 67ख – इसके अनुसार जो कोई इलेक्ट्रोनिक रूप में ऐसी सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण या पारेषण करेगा जो नाबालिगों को यौन रूप से स्पष्ट तरीके से कार्य करते हुए दिखाती है या जो बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट ऑनलाइन सबंधों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती हैं वह पहली बार दोषसिद्धि पर 5 साल तक के कारावास तथा 10 लाख रू. तक जुर्माना एवं दूसरी या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर 7 साल तक का कारावास तथा 10 लाख रू. तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। इस धारा में चाइल्ड प्रोनोग्राफी के लिए दंड का प्रावधान है किंतु यह धारा साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए जनहित में प्रकाशित सामग्री पर लागू नहीं होती। अत: यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की का उपयोग करके कोई यौन या अश्लील सामग्री बनाता हैं अपलोड करता हैं, शेयर करता हैं, डाउनलोड करता है या उसका प्रचार प्रसार करता हैं तो वह इस धारा के अधीन दोषी होगा।

महिलाओं के अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 – यह अधिनियम मिडिया के माध्यम से महिलाओं के अशिष्ट रूपण को विनियमित एवं प्रतिबंधित करता हैं। इंटरनेट पर प्रसारित सामग्री या वेब प्लेटफॉर्म पर स्त्रियों के अपमानजनक चित्रण पर रोक लगाता है।

पॉक्सो अधिनियम 2012 – यह नाबालिग लड़कियों से जुड़े यौन अपराधों के लिए जिनमें ऑनलाईन दुर्व्यवहार भी आता हैं दंडित करता है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत की जा सकती हैं एवं कुछ मामलों मे तो बिना नाम के भी शिकायत की जा सकती है इसके अलावा पीड़िता अपने जिले में निकटवर्ती साइबर सेल में भी शिकायत दर्ज करवा सकती है।

सरकारी प्रयास :

1. सरकार ने साइबर अपराधों की जॉच के लिए राज्यों में साइबर अपराध प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं।
2. साइबर अपराध से पीड़ित महिलाओं के लिए साइबर सेल एवं महिला हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है।
3. सरकार एवं पुलिस एकेडमी एवं विधिक सहायता प्राधिकरण द्वारा साइबर अपराध एवं उससे बचाव के बारे में स्कूलों, महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे है।
4. महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना, जो कि महिला और बच्चों को लक्षित करने वाले साइबर अपराधों से निपटने के लिए बनाई गई हैं के अधीन संपूर्ण देश में साइबर फारेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है जो साइबर अपराधों की जॉच के साथ-साथ जॉचकर्मियों को प्रशिक्षण भी देती है।
5. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल हैं जिसके माध्यम से कोई महिला किसी साइबर अपराध की शिकायत ऑनलाईन कर सकती हैं इसमें नाम के बिना भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। इस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को संबंधित राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा जाता है।
6. गृह मंत्रालय से जुड़ा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण प्रदान करने का कार्य करता हैं इसका 'प्रतिबिंब माडयुल' अपराधियों और उसकी लोकेशन को मैप करने में अत्यंत सहायक हैं जिससे जॉच आसान हो जाती है।

मुख्य चुनौतियॉं – सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67, 67क तथा 67ख विशेष प्रकार के साइबर यौन अपराध जैसे कि किसी महिला को ऑनकैमरा यौन कार्य करने के लिए राजी करना या उत्प्रेरित करना को आच्छादित नहीं करती इसके अतिरिक्त इसमें साइबर स्टॉकिंग, ईमेल स्पूफिंग जैसे अपराधों को चिन्हित नहीं किया गया हैं। दूसरी प्रमुख चुनौती यह है कि इंटरनेट के माध्यम से प्रोनोग्राफी, महिलाओं का दुर्व्यापार आम बात हो चुकी हैं किंतु इसका विस्तार राष्ट्रीय सीमाओं से परे होने की वजह से राष्ट्रीय कानून द्वारा इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव – निष्कर्षत: यह कहा जा सकता हैं कि महिलाओं के विरुद्ध हो रहे साइबर अपराधों के लिए वर्तमान कानून अपर्याप्त हैं क्योंकि वे सभी तरह के साइबर अपराधों से निपटने में अक्षम हैं इसके अतिरिक्त अपराधी का स्थान एवं पहचान इन अपराधों के अन्वेषण में सबसे बड़ी बाधा हैं। महिलाओं को इन अपराधों के प्रति जागरूक करना, हमारे अन्वेषण तंत्र को इन अपराधों की जॉच हेतु अपग्रेड करना एवं इन विशिष्ट तरह के अपराधों के लिए एक विशिष्ट एवं ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एम.एस.चौहान, अपराध शास्त्र, दण्ड प्रशासन एवं पीड़ित शास्त्र, 113, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, नवम संस्करण 2012
2. डॉ.ना.वि. परांजपे, अपराध शास्त्र, दण्ड प्रशासन एवं प्रपीड़न शास्त्र, 143-165, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशंस, 15वॉ संस्करण 2012
3. नीतू चौधरी, *साइबर अपराध के युग में महिलाओं के समक्ष चुनौतियॉं*, Shrinkhla Ek Shodh Parak Vaicharik Patrika,(2024)
4. डॉ. आशा आर्या, *समाज के बदलते परिवेश में महिलाओं के प्रति बढ़ता साइबर अपराध*, 7, INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD), 63, 67(2012).
5. *महिलाओं पर साइबर उत्पीड़न* Drishti Judiciary(jul17,2025) https://share.google/ZdO6kk9jyAX270Wfw

****